

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 52/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/2018-खंड.॥

दिनांक : 9 अगस्त, 2018

सेवा में

सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : ईटीपीबीएस के अंतर्गत डाक मतपत्र का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषण - डाक मतपत्रों तथा संबंधित कागजातों के प्रेषण की समय - सीमा।

महोदय/महोदया,

सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों के प्रेषण से संबंधित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारियों को अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात 48 घंटे के भीतर ईटीपीबीएस पोर्टल पर डाक मतपत्रों तथा अन्य संबंधित कागजातों [फार्म 13क, फार्म 13ख, 13ग, फार्म 13घ की तालिका] को अपलोड करना अपेक्षित है। जब पूर्व में डाक मतपत्रों को डाक द्वारा भौतिक रूप में भेजे जाते थे, उस समय अपनाई जाने वाली समय-सीमा अब तक ईटीपीबीएस पर डाक मतपत्रों को अपलोड करने के लिए भी अपनाई जा रही थी।

2. आयोग ने स्थिति की समीक्षा की है। ईटीपीबीएस के माध्यम से मतपत्र प्रेषित करने से डाक मतपत्रों को भौतिक रूप से भेजने में लगने वाले समय और श्रम की बचत होती है। रिटर्निंग अधिकारी को केवल यह सुनिश्चित करना है कि डाक मतपत्र आयोग के निदेशानुसार तैयार किए जाएं।

3. डाक मतपत्रों के प्रेषण में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने से यूनिटों में डाक मतपत्रों को डाउनलोड करने तथा मुद्रित करने एवं संबंधित सेवा मतदाताओं को इसे भेजने के लिए कार्रवाई करने तथा सेवा मतदाताओं को अपना मत देने और रिटर्निंग अधिकारियों को डाक द्वारा मतपत्र वापिस भेजे जाने के लिए अधिक समय मिलेगा।

4. उपर्युक्त स्थिति के संबंध में आयोग ने निदेश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ईटीपीबीएस पर सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों तथा संबंधित कागजातों का अपलोडिंग का कार्य अभ्यर्थिताएं वापिस लिए जाने की अंतिम तारीख के अगले दिन तक पूरा कर लिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी सभी मामलों में इसे अवश्य सुनिश्चित करेंगे और इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

5. आयोग ने सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से यूनिट स्तर के अधिकारियों को अनुदेश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों एवं अन्य संबंधित कागजातों की डाउनलोडिंग का कार्य अभ्यर्थिता वापिस लिए जाने की अंतिम तारीख के बाद आठवें दिन तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। अभ्यर्थिता वापिस लिए जाने की अंतिम तारीख के अगले दिन तक मतपत्र अपलोड करने से यूनिट अधिकारियों को सभी कागजातों को डाउनलोड करने के लिए सात दिन मिलेंगे ताकि वे सभी दस्तावेज डाउनलोड कर सकें, उन्हें मुद्रित कर सेवा मतदाताओं को वितरित कर सकें। अतः, रिटर्निंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यथाशीघ्र अपलोडिंग पूरी कर लें और किसी भी स्थिति में अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन तक इसे पूरा कर लें।

6. इन अनुदेशों को अनुपालन हेतु सभी रिटर्निंग अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए।

7. कृपया पावती दें।

भवदीय

(एन.टी.भूटिया)
सचिव

प्रतिलिपि : -

1. उप निर्वाचन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव
2. आईटी प्रभाग